कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री सैयद शाहिद अली , निवासी बी–136, करधनी, गोविंदपुरा, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

अपील संख्या 80 / 2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 11.11.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना / नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना / नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/ सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा को इस कार्यालय के पत्र कमांकःडीएम कोर्ट / 2021 / 2586 दिनांक 25.10.2021 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित नकल उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा पत्र कमांकः1928 दिनांक 11.11. 2021 के द्वारा वस्तुस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसके द्वारा अवगत कराया है कि आवेदक ने दिनांक 11.11.2021 को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रा0पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण से संबंधित चाही गई सूचना लेने से मना कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक वांछित सूचना लेना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा